3

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या–9/उपा०कीट०अनु०–13/2014– /कृ0, पटना, दिनांक जून,2015.

प्रेषक,

धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री मानस दास,
मेसर्स पेस्ट कंट्रोल (इंडिया) प्रा0 लि0,
H/O-श्री राजीव कुमार, प्रथम तल,
आफिस नं0–106, साबू कम्पलेक्स,
(होटल रिपब्लिक के पीछे), एक्जीविशन रोड,
पटना–01,

विषय :– **कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या– 107–108 दिनांक: 06.06.2014 का नवीकरण के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पत्र, कोषागार चालान एवं अन्य सुसंगत कांगजात तथा सहायक निदेशक, पौ0 सं0, पटना से प्राप्त स्थल जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 एवं आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के तहत स्वनिर्मित निम्नलिखित कीटनाशियों का विनिर्माण एवं प्रिंसिपल सर्टिफिकेट की वैद्यता तिथि के आलोक में कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या– 107–108 दिनांक: 06.06.2014 का नवीकरण दिनांक: 31.12.2016 तक के लिए किया जाता है,

क्र0 सं0	कीटनाशी का नाम	क्र0 सं0	कीटनाशी का नाम
1	Chlorpyriphos-20% EC	7	Cypermethrin 10%EC
2	Malathion 50% EC	8	Imidacloprid 30.5%SC
3	Chloryriphos 2% WW/RTU	9	Imidacloprid 2.15% Gel
4	Pyrethrum 0.02%+Malathion 0.05% (WW)	10	Deltamethrin 0.05%+Allethrin 0.04% WW
5	Propoxur 1% Spray	11	Deltamethrin 2.5% Flow
6	Bromodiolone 0.005% RB (Cake)	12	Deltamethrin 2.5%+D-Trans Allethrin 2% EC

2–उपरोक्त कीटनाशियों का प्रतिष्ठान द्वारा भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, के विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा– मेसर्स पेस्ट कंट्रोल (इंडिया) प्रा0 लि0, H/O श्री राकेश कुमार गुप्ता, शॉप नं0–05, (सम्राट पेट्रोल पंप के सामने) महात्मा गाँधी सड़क, ट्रान्सपोर्ट नगर, पटना–26

3–यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4 अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावां अन्य कीटनाशी की बिक्री/ भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5–भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6–अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना तथा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

7–नियम 10 बी0 के तहत् सल्फर के लिए अलग से बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करना होगा।

8–अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिर्माता, राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेन्ट/बिक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरूद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

9– कीटनाशी अनुज्ञप्ति सं0–107–108 दिनांक 06.06.2014 मूल रूप में संलग्न हैं। कृपया पावती की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(धर्मेन्द्र सिंह)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

D:\Pesticide\Pesticide 2013-14\Pesticide licence letter 2013.docx

ज्ञापांक 2758 /कृ0, पटना, दिनांक 12 जून, 2015

प्रतिलिपि– (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान) बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी) बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई.टी. मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

11/6/15

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।